

2/8/22

पत्रावली साज पेश दुरी प्रार्थी एवं वकील
प्रार्थी अनुपस्थित। इन प्रार्थना-पत्र से
सम्बन्धित भूलवाद को अक्षम करवी
अक्षम दाजरी में खासतः किया जा
सुका है। अतः भूलवाद के खासतः
हो जाने से इन प्रार्थना-पत्र को
डागे-पलाने का कोई होंचित्य नहीं
बढ़ जाने से इन पत्रावली को खासतः
किया जाता है।

पत्रावली के मूल सुमार दोकर कर्तव्य
है कम होने पर हासिल करार है।
निर्णय साज दिनांक 2/8/2022 को
पूर्व-व्याप्तिय एवं से इफ्तान मुताबा
गया।


उप खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला जयपुर)